

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] No. 579] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाश्लक बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 68/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. **704(अ)**.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उपधारा (1) और धारा 143कक के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**.—(1) इन विनियमों को 'ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अण्डर इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्यूलेशंस, 2019' कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. परिभाषाएं.—इन विनियमों को, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-
 - (क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;
 - (ख) "प्राधिकृत कैरियर" से अभिप्राय प्राधिकृत समुद्री कैरियर, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर, शिपिंग लाइन या ऐसे किसी अभिरक्षी से है जो कि सी कार्गो मेनीफेस्ट एन्ड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशंस, 2018 के अंतर्गत पंजीकृत हों अथवा यह उसके किसी प्राधिकृत अभिकर्ता से भी अभिप्रेत है;
 - (ग) "ईसीटीएस" से अभिप्राय उस इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम से है जो कि नेपाल जाने वाले कार्गो की बीच रास्ते में सरक्षा और उसकी मॉनीटरिंग के लिए तैनात किया गया हो:
 - (घ) "प्रबंधित सेवा प्रदाता" से अभिप्राय उस नियुक्त प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता से है जिसके लिए भारत और नेपाल की सरकारों के बीच, ईसीटीएस सेवा प्रदान किये जाने के लिए सहमित हुई हो।
- (2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिनका यहां तो प्रयोग हुआ हो और इन विनियमों में परिभाषित न किये गये हों परन्तु उक्त अधिनियम में परिभाषित किये गये हों, का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिया गया हो।

5129 GI/2019 (1)

- **3. प्रयोज्यता-** ये विनियम भारत के कोलकाता, हिल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनों से नेपाल के वीरगंज तक रेल के द्वारा भेजे जाने वाले कार्गों और भारत के कोलकाता, हिल्दिया और विशाखापट्टनम पत्तनों से बटनाहा तक रेल के द्वारा और बटनाहा से नेपाल के विराट नगर तक सड़क मार्ग से भेजे जाने वाले कार्गों पर लागू होगा।
- 4. ट्रांसशिपमेंट की घोषणा.- प्राधिकृत कैरियर को,-
 - (क) नेपाल जाने वाले कार्गो की और नेपाल में मेनीफेस्ट के पहुँचने से संबंधित उसके फाइनल डिस्चार्ज के पत्तन के बारे घोषणा करनी होगी:
 - (ख) जब तक कार्गो नेपाल के फाइनल डिस्चार्ज वाले पत्तन तक नहीं पहुँच जाता है तब तक रेल या रेल एवं सड़क के द्वारा माल के परिवहन की जिम्मेदारी होगी;
 - (ग) प्रबंधित सेवा प्रदाता से अपने खर्चे पर ईसीटीएस की मुहर को सीधे प्राप्त करना होगा;
 - (घ) उस राशि के बराबर एक सामान्य बंधपत्र भरना होगा जिसके बारे में यथोचित अधिकारी निर्देश करे;
 - (ङ) यथोचित अधिकारी के समक्ष इस विनियम में संलग्न फॉर्म और तीन प्रतियों में ट्रांसशिपमेंट की घोषणा करना होगा और साथ में वाणिज्यिक इन्वॉइस की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
- **5. माल को लादने की अनुमति-** वाहन का प्रभारी कोई भी व्यक्ति नेपाल को भेजे जाने वाले किसी माल को रेलवे या अन्य वाहन पर तब तक लादने की अनुमति नहीं दे सकेगा जब तक उसके ट्रांसशिपमेंट घोषणा को अनुमोदित न कर दे।
- **6. ट्रांसशिपमेंट के लिए अनुमति.-** (1) जहाँ कि विनियम 5 में यथासंदर्भित अनुमोदन के अनुपालन में माल को रेलवे वाहन पर लाद दिया गया हो तो यथोचित अधिकारी,-
 - (क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो पर ईसीटीएस की मुहर सुरक्षित रूप से लगी हो और संबंधित सूचना सलंग्न वेब-एप्प्लीकेशन में उल्लिखित कर दी गयी हो।
 - (ख) ईसीटीएस की मुहर संख्या युक्त ट्राँसशिपमेंट घोषणा की तीनों प्रतियों को पृष्ठांकित करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रख लेगा और ट्रांसशिपमेंट की घोषणा की बाकी दो प्रतियों को रेलवे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को सौंपेगा ताकि उसे माल के साथ लगा दिया जाये।
- (2) उक्त प्राधिकृत कैरियर ट्रांसशिपमेंट घोषणा की पृष्ठांकित प्रति को भारत से बाहर से भेजने वाले लैंड कस्टम्स स्टेशन पर जमा करेगा और दूसरी प्रति को नेपाल के फाइनल चार्ज वाले पत्तन के कस्टम्स के पास जमा करेगा।
- 7. लैंड कस्टम्स स्टेशन पर पहुँचना.- (1) ईसीटीएस की मुहर लगे कन्टेनरों को भारत के निकास स्थल के लैंड कस्टम्स स्टेशनों पर रोका जायेगा ताकि यथोचित अधिकारी उसकी सील को हटा सके।
- (2) ऐसी सील को हटाने के पहले यथोचित अधिकारी वेब-एप्लीकेशन का प्रयोग करके उस सील की सत्यता की जांच करेगा और यदि गैर प्राधिकृत रूप से सील को हटाए जाने की कोई बात सामने नहीं आती है तो वह ईसीटीएस सील को हटा देगा।
- (3) यदि ईसीटीएस से ऐसा पता चलता है कि गैर प्राधिकृत रूप से सील को हटाने की कोशिश की गयी है तो यथोचित अधिकारी ऐसे माल का विधिवत सत्यापन कराएगा जिससे कि यह पता चल सके कि क्या उक्त माल ट्रांसशिपमेंट की घोषणा के अनुसार ही है अथवा नहीं और इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है तभी वह इसे नेपाल के लिए ट्रांसशिपमेंट की अनुमित देगा।
- (4) यथोचित अधिकारी ट्रांसशिपमेंट की घोषणा की दोनों प्रतियों पर सील के हटाए जाने को पृष्ठांकित करेगा और इसकी एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति प्राधिकृत कैरियर को देगा जिससे कि आगे उसे नेपाल के कस्टम्स के पास प्रस्तुत किया जा सके।
- (5) वाहन का प्रभारी व्यक्ति नेपाल के लिए तब तक कोई यात्रा नहीं शुरू करेगा जब तक कि यथोचित अधिकारी ने उसे ट्रांसशिपमेंट की घोषणा को पृष्ठांकित करने वाले किसी आदेश के द्वारा अनुमति न दे दी हो।
- **8. बंधपत्र का विमोचन.-** (1) यथोचित अधिकारी ईसीटीएस वेब-एप्लीकेशन से ट्रिप रिपोर्ट निकालेगा जो कि ट्रांसशिपमेंट के पूरा होने का प्रमाण होगा।
- (2) कोलकाता, हिल्दिया और विशाखापट्टनम के पत्तनों पर यथोचित अधिकारी द्वारा इसी ट्रिप रिपोर्ट के आधार पर कन्साइन्मेंट के ट्रांसिशपमेंट का मिलान करेगा और प्राधिकृत कैरियर द्वारा दिये गये सामान्य बंधपत्र को वापस जमा करेगा या उसे विमोचित करेगा।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

प्रपत्र

(विनियमन 4 देखें)

ट्रांसशिपमेंट की घोषणा

(तीन प्रतियों में भरें)

भाग क										
(प्राधिकृत कैरियर या उसके एजेंट द्वारा भरा जाए)										
ट्रांसशिपमेंट की घोषणा दाखिल करने वाले प्राधिकृत कैरियर का नाम										
मैनिफेस्ट संख्या और दिनांक										
भारत में प्रवेश का बंदरगाह										
भारत से बाहर निकलने का भू सीमाशुल्क स्टेशन										
नेपाल में प्रवेश का बंदरगाह										
नेपाल में अंतिम निर्वहन का बंदरगाह										
नेपाल में आयातक का नाम और पता										
वाहन संख्या जिससे माल को भारत से ले जाया जाएगा (यदि लागू हो)										
ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर (यदि लागू हो)										
कंटेनर संख्या या	वैगन संख्या (जैसा ल	ागू हो)								
बॉन्ड सं.										
			माल का वि	वेवरण						
चिंह और क्रम सं.	वाणिज्यिक चालान संख्या और दिनांक	माल का विवरण	H.S कोड	मात्रा (नग में) या वजन, जो भी सुसंगत हो	संपूर्ण भार	सीआईएफ मूल्य भारतीय रुपये में				
मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त माल भारत से नेपाल के पारगमन के लिए है और इसे भारत में एन-रूट पर डायवर्ट नहीं किया जाएगा या भारत में रोका नहीं जाएगा। मैं / हम उपरोक्त यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की लागत को वहन करूंगा/करेंगे। मैं / हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी प्रविष्टियां मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम और सही हैं। प्राधिकृत कैरियर या उसके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर										
भाख ख										
(भारत में प्रवेश के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए)										
ट्रांसशिपमेंट परमिट सं.										
ECTS मुहर सं.										
मैं सत्यापित करता हूं कि उक्त कंटेनर या वैगन को मेरे द्वारा ईसीटीएस मुहर से मोहरबंद किया गया है। अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम, मुहर और तारीख										
भाग ग										
(भारत से बाहर के भू सीमाशुल्क स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा भरे जाने के लिए)										
मैं प्रमाणित करता हूं कि कार्गोबंदरगाह (भारत) से भू सीमाशुल्क स्टेशन (भारत) तक पहुंच गया है, ECTS की यात्रा रिपोर्ट में किसी अनधिकृत अन-सीलिंग की चेतावनी नहीं प्राप्त हुई है।										
् अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम, मुहर और तारीख										

[फा. सं. 554/02/2014-एलसी (पार्ट)]

गुन्जन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 68/2019-Customs (N.T.)

- **G.S.R. 704(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-section (1) of section 54 and section 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These regulations may be called the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions**. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires—
 - (a) 'Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - (b) "authorised carrier" means an authorised sea carrier, an authorised train operator, shipping line or a custodian, registered under regulation 3 of the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018 or his authorised agent;
 - (c) "ECTS" means the electronic cargo tracking system deployed for securing and monitoring traffic-intransit destined to Nepal;
 - (d) "managed service provider" means a technology service provider appointed, as bi-laterally agreed between the Governments of India and Nepal, for providing ECTS services.
- (2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Application**. These regulations shall apply to the transhipment of cargo from the ports of Kolkata, Haldia and Visakhapatnam in India to Birgunj in Nepal by rail and from the ports of Kolkata, Haldia and Visakhapatnam to Batnaha in India by rail and from Batnaha to Biratnagar in Nepal by road.
- 4. **Declaration of transhipment.** The authorised carrier shall,
 - (a) declare the cargo destined to Nepal and the port of final discharge in Nepal in the arrival manifest;
 - (b) undertake to transport the goods by rail or rail-cum-road till they reach the port of final discharge in Nepal;
 - (c) directly procure ECTS seals at their own cost from the managed service provider;
 - (d) execute a general bond for an amount as directed by the proper officer;
 - (e) file a declaration of transhipment, in triplicate, in the Form appended to these regulations before the proper officer, along with a copy of the commercial invoice.
- 5. **Permission to load goods.** No person-in-charge of a conveyance shall permit the loading of goods destined to Nepal, onto a railway vehicle, unless the declaration of transhipment relating to them has been approved by the proper officer.
- 6. **Permission for transhipment.** -(1) Where pursuant to the approval referred to in regulation 5, goods have been loaded on a railway vehicle, the proper officer shall, -
- (a) ensure that the cargo is sealed securely with the ECTS seals and related information is entered into the associated web-application;
- (b) endorse all the three copies of the declaration of transhipment with the ECTS seal number and retain a copy therefrom and hand over the remaining two copies of the declaration of transhipment to the person in charge of the railway vehicle for being carried along with the goods.
- (2) The authorised carrier shall submit a copy of the endorsed declaration of transhipment at the land customs station of exit from India and the other copy shall be handed over to the customs at the port of final discharge in Nepal.

[भाग Π —खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

- 7. **Arrival at the land customs station**. (1) The containers which are affixed with an ECTS seal shall be halted at the land customs station of exit in India for unsealing by the proper officer.
- (2) The proper officer shall, before unsealing, check the integrity of the seal using web application and if no alert of unauthorised unsealing is found, he shall remove the ECTS seal.
- (3) In case the ECTS indicates an alert about any unauthorised unsealing, the proper officer shall make due verification of the goods to check whether the goods are in accordance with the declaration of transhipment and shall allow the transhipment to Nepal, upon being satisfied that there is no irregularity.
- (4) The proper officer shall make an endorsement of unsealing on both the copies of declaration of Transhipment, retain one copy, and shall hand over the other to the authorised carrier for onward submission to Nepal Customs.
- (5) The person-in-charge of the conveyance shall not commence onward journey to Nepal unless the proper officer has permitted him so to do by an order endorsed on the declaration of transhipment.
- 8. **Discharge of bond**. -(1) The proper officer shall extract trip reports from the ECTS web application as proof of completion of transhipment.
- (2) The reconciliation of transhipment of consignments shall be carried out on the basis of trip report, by the proper officer at the Ports of Kolkata, Haldia or Visakhapatnam, as the case may be, and the general bond submitted by the authorised carrier will be re-credited or discharged.

FORM

(See regulation 4)

Declaration of transshipment

(To be filed in triplicate)

Part A										
(To be filed by the authorised carrier or his agent)										
Name of the au	thorised carrier fil									
Manifest number	er and date									
Port of entry in	India									
Land customs s	tation of exit from									
Port of entry in	Nepal									
Port of final dis	charge in Nepal									
Name and addre	ess of importer in									
Vehicle number	r on which goods									
Name and mobi	ile number of the									
Container numb	per or wagon num									
Bond No.										
Details of goods										
Marks & serial Nos.	Commercial invoice number and date	Description of goods	H.S. code	Quantity (in pcs) or weight, as relevant	Gross weight	CIF Value in INR				
I / Wa doctors	that the goods on	tarad harain ara	for transit the	ough India to Manal and	chall not be dive	rtad on route in				

I / We declare that the goods entered herein are for transit through India to Nepal and shall not be diverted en-route in India or retained in India.

I/We undertake to bear the cost of electronic cargo tracking system for the above trip.

I/We further declare that all the entries made herein above are true and correct to the best of my / our knowledge.

Signature of the authorised carrier or his representative

[F. No. 554/02/2014-LC (Pt)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

MANOJ Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.30 22:22:40 +05'30'